सम्पूर्ण व्यापारिक दैनिक

नफा नुकसान

INS Membership No. : 50682

एजेन्सी फार्म

श्रीमान वितरण व्यवस्थापक

w.e.f. 15.11.2008

नफा नुकसान

204, गौरव टावर, मालवीया नगर,

जयपुर-302 017

महोदय,

मैं/हम आपके समाचार पत्र **नफा नुकसान** की एजेन्सी ____________________ क्षेत्र के लिए लेना चाहता हूँ/चाहते हैं। मैं/हम आपके समाचार पत्र को स्वीकृत स्थान पर बेचने के अलावा अन्य किसी स्थान पर नहीं बेचूंगा/बेचेंगे।

आपके नियम व शर्तें मुझे/हमें मंजूर हैं तथा मैं/हम वायदा करता हूँ/करते हैं कि वर्तमान व भावी सभी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा/करेंगे। कृपया उपरोक्त स्थान हेतु एजेन्सी स्वीकृत कर अंक संख्या/दिनांक _______ से _____________ प्रतियां भिजवाना प्रारम्भ करें।

उपरोक्त सप्लाई के बाबत सिक्योरिटी डिपोजिट राशि रुपये ___________ (अंकों में) रुपये ____________ (शब्दों में) नकद/चेक न. ________ हमारी एजेन्सी के खाते में जमा करें।

एजेन्ट का नाम ______________________________

एजेन्सी का नाम ______________________________

डाक का पता ______________________________

____

____

फोन (का) ____________________ (नि) ________________

साधन जिससे सप्लाई भेजी जाएगी ______________________________

भवदीय,

हस्ताक्षर मय मोहर

वितरण व्यवस्थापक

दिनांक ______________

नोट : एजेन्सी से सम्बंधित नियम व शर्तें पीछे देखें।

Kushagra Publications Pvt. Ltd.
204, Gaurav Tower-I, Malviya Nagar,
Jaipur-302 017
Ph.: 0141-5111055, 5111155, 2547642 **Telefax:** 0141-5111066
E-mail: info@nafanuksan.com

एजेन्सी नियम व शर्तें

1. नफा नुकसान का विक्रय मूल्य 3.50 रुपये प्रति कॉपी है।
2. 150/- रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से सिक्योरिटी जमा करानी होगी। जिस पर 8% प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा। प्रतियां बढ़ाने के आदेश के साथ या अगले माह की 10 तारीख तक सिक्योरिटी राशि भिजवानी होगी।
3. **एजेन्सी कमीशन इस प्रकार होगा :-**

	प्रतिशत में
अ. 100 प्रतियों तक	: 25% प्रतिशत
ब. 101 से 250 प्रतियों तक	: 26% प्रतिशत
ब. 251 से 500 प्रतियों तक	: 27% प्रतिशत
स. 501 या इससे अधिक प्रतियों पर	: 28% प्रतिशत

4. जिस एजेंट की अमानत राशि निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रतियों की संख्या के अनुसार प्रतिमाह पूरी प्राप्त हो जायेगी उसे एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त किया जायेगा। इसकी गणना निम्न उदाहरण से समझी जा सकती है:-

   उदाहरण - अगर कोई एजेंट अप्रैल माह में अपनी प्रतियों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर लेता है तो 10 मई तक उसे अप्रैल माह के अंतिम दिन जाने वाली प्रतियों के आधार पर अमानत राशि भिजवानी होगी और तभी उसे इस अतिरिक्त ब्याज का लाभ मिलेगा। जिस माह ऐसा नहीं होगा उस माह के ब्याज का भुगतान साधारण निर्धारित दर से ही किया जायेगा।
5. मासिक बिल का भुगतान अगले महीने की 10 तारीख तक प्राप्त होने पर 2% प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देय होगी। उल्लेखनीय है कि आपके गत माह के बिल के भुगतान की राशि नफा नुकसान के खाते में वर्तमान माह की 10 तारीख से पूर्व जमा हो जानी चाहिये।
6. बण्डल न मिलने, देरी से मिलने व प्रतियां कम प्राप्त होने पर रेल/बस के सक्षम अधिकारियों से क्लेम फार्म प्रमाणित कर भिजवाने पर ही क्रेडिट दी जा सकेगी।
7. नफा नुकसान प्रबंधन को एक स्थान के लिए एक से अधिक एजेन्सी देने का अधिकार होगा।
8. मासिक बिल का भुगतान अगले माह की 15 तारीख तक भिजवाना होगा। 15 तारीख तक भुगतान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बिना पूर्व सूचना के आपकी सप्लाई बन्द कर दी जायेगी तथा 30 तारीख तक भुगतान प्राप्त नहीं होने पर बकाया राशि आपकी अमानत राशि में से समायोजित कर ली जायेगी।
9. अगले माह की 5 तारीख तक बिल प्राप्त न होने की दशा में तत्काल सूचना भेजनी होगी, अन्यथा आप सप्लाई के आधार पर राशि की गणना कर भुगतान भिजवा सकते हैं।
10. भुगतान **नफा नुकसान** के पक्ष में जयपुर में देय बैंक ड्राफ्ट / मनीऑर्डर से ही स्वीकार किया जाएगा। (इसके लिए अपको कोरियर एवं ड्राफ्ट कमीशन आदि किसी भी प्रकार का खर्चा देय नहीं होगा।)
11. आप भुगतान स्थानीय बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड में हमारे खाता संख्या **3140301110907** में जमा करवायें। ध्यान रहे कि चैक अथवा डीडी **मैसर्स कुशाग्र पब्लिकेशंस प्रा. लिमिटेड** के नाम से बनायें।
12. समाचार पत्र की बिक्री बढ़ाने में रूचि नहीं लेने, समय पर वितरण नहीं करने, ग्राहकों के साथ व्यवहार सही नहीं होने या अन्य कोई शिकायत प्राप्त होने पर एजेन्सी रद्द कर दी जाएगी।
13. यदि आप किसी कारणवश एजेंसी चला पाने में असमर्थ रहते हैं तो आपको एजेंसी छोड़ने के लिए नफा नुकसान प्रबंधन को तीन माह पूर्व लिखित में सूचना देनी होगी। यदि नफा नुकसान प्रबंधन आपकी एजेंसी को बंद करने का निर्णय लेता है तो उस स्थिति में नफा नुकसान की ओर से आपको भी तीन माह पूर्व सूचित किया जावेगा।
14. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के लिए न्याय क्षेत्र केवल जयपुर होगा।
15. बस/रेल्वे स्टेशन से बण्डल आपको प्राप्त करना होगा, जिसके लिए आपको किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।
16. बिल का पूर्णभुगतान प्राप्त होने पर ही किसी शिकायत पर प्रबन्धन गौर करेगा और उस राशि का अगले बिल मे समायोजन किया जा सकेगा।
17. नफा नुकसान प्रबंधन समय-समय पर एजेन्सी की शर्तो के सम्बंध मे कोई निर्णय लेगा तो वह आपकी एजेन्सी पर भी लागू होगा।

मुझे उपरोक्त शर्तें स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर एजेन्ट